File No. NCTE-Regl011/128/2019-US(Regulation)-HQ (Computer No. 38780)
Receipt No : 142825/2019/US(Regulation)-HQ

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2019/कार्तिक 30, 1941
No. 416] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

फा. सं. राअशिप–रेगु./012/22/2019–अ.स.(विनियम)–मुख्यालय–बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35वां) के खण्ड 23 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के दिनांक 31 मार्च, 2010 के स्थायी आदेश संख्या 750(अ) की अधिसूचना के अनुसरण में एतद्द्वारा भारत सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिनांक 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 61–3/20/2010–राअशिप (एन तथा एस) में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

1. उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 1, उप–पैरा(ii) – (ए) के खण्ड (क) में प्रयुक्त "कम से कम 50% अंकों सहित शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक(बी.एड.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर आगे वर्णित शब्द, अंक और अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे "कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी.एड.।

(बी) अन्त में खण्ड (ख), निम्न परन्तुक जोड़ा जाएगा यथा "लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई, 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।"

2. ऐसा माना जाएगा कि यह अधिसूचना 29 जुलाई, 2011 को लागू कर दी गई है।

संजय अवस्थी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./304/19]

टिप्पणी : दिनांक 23 अगस्त, 2010 की मुख्य अधिसूचना फा. संख्या 61–3/20/2010–राअशिप (एन तथा एस) के रूप में भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, में प्रकाशित हुई थी जिसे बाद में दिनांक 29 जुलाई, 2011 को अधिसूचना संख्या 61–1/2011–राअशिप(एन तथा एस) द्वारा संशोधित किया गया था।

Generated from eOffice by SATISH KUMAR, UNDER SECRETARY, NCTE on 26/11/19 04:15 PM

व्याख्यात्मक ज्ञापन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या फा. 61–1/2011– राअशिप (एन तथा एस) को नीरज कुमार राय तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के मामले में 2017 की सिविल अपील संख्या 9732 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25 जुलाई, 2017 के अपने आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अंकों की प्रतिशतता के संबंध में निर्दिष्ट करते हुए एक पूरक अधिसूचना जारी करने के निदेश दिए थे। आवश्यक संशोधन उपर्युक्त को नियमावली की अधिसूचना की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना था। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधित नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी प्रत्याशी पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2019

F. No. NCTE-Reg/012/22/2019-US(Regulation)-HQ.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and in pursuance of the notification number Government of India in the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy S.O. 750(E) dated 31st March 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 5th April, 2010, the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, National Council for Teacher Education, vide F. No. 61-3/20/2010-NCTE(N&S) published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 23rd August, 2010, namely:—

1. In the said notification in paragraph 1, in sub-paragraph(ii),-(A) in clause (a) for the words, figures, brackets and letters "Graduation with at least 50% marks and 1 year Bachelor in Education (B.Ed.)", the words, figure and letters "At least 50% marks either in Graduation or in Post-Graduation and B.Ed." shall be substituted.

(B) After clause (b), at the end, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education or equivalent course prior to the 29th July, 2011."

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 29th July, 2011.

SANJAY AWASTHI, Member-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./304/19]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* number F. No. 61-3/20/2010-NCTE(N&S) dated the 23rd August, 2010 and was subsequently amended *vide* number F. No. 61-1/2011-NCTE (N&S) dated the 29th July, 2011.

Explanatory Memorandum

The amendment notification number F. 61-1/2011-NCTE (N&S) dated the 29th July, 2011 issued by the National Council for Teacher Education was challenged before the Supreme Court in the case of Neeraj Kumar Rai and Others Vs State of U.P. and Others in Civil Appeal No. 9732 of 2017 and the Hon'ble Court vide its order dated the 25th July, 2017 had directed the, National Council for Teacher Education to issue a clarification by way of a supplementary notification regarding the percentage of marks specified therein. Necessary amendment is required to be made retrospectively from the date of notification of the said rules. It is certified that none will be adversely affected by the retrospective effect being given to the amendment rules.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.21